सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 21 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—02.02.2024

GCMS ID—2024 / 21

1. हरिराज सिंह आ0 श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी मांगलीखुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 13 / 02 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 75 खसरा संख्या 362 / 90 रकबा 0.2671 हैक्टेयरं कुल किता 1 कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगली खुर्द पटवार मण्डल मांगलीखुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रह है। प्रार्थी उपरोक्त भमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से फसल बोता जोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की भमि खसरा संख्या 362 / 90 की पूर्वी तरफ शंकरसिंह, भंवरसिंह की जमीन, पश्चिमी तरफ स्वयं प्रार्थी की भूमि, उत्तरी तरफ मांगीसिंह की भूमि, दक्षिणी तरफ स्वयं प्रार्थी की भूमि है, प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि की ऑनलाईन रिकॉर्ड में संहवन से मौके के अनुरूप तरमीम नहीं होकर गलत तरमीम अन्य जगह अंकित हो गई तथा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके के अनुसार किया जाना आवश्यक है। तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि की, की गई तरमीम को दुरूस्त करके मौके के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.01.2025 को कम्प्युटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब दिनांक 01.02.2024 श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम को निरस्त कर सही तरमीम अमल दरामद करने का अनुरोध किया तो बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी उपचार नहीं रहा है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 75 की भूमि खसरा संख्या 362/90 रकबा 0.2671 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीखुर्द पटवार मण्डल मांगलीखुर्द तहसील हिण्डाली की, की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/24/4039 दिनांक 26.11.2024 में ग्राम मांगलीखुर्द के खाता संख्या 75 के खसरा संख्या 362/90 के राजस्व रिकॉर्ड नक्शे लठ्ठे में तरमीम अंकित नहीं है। उक्त खसरा संख्या की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 अन्तर्गत तरमीम की गई है। नक्शा शीट पर हो रही खसरा संख्या 362/90 की तरमीम के आंशिक भाग पर ही खातेदार का कब्जा है, खातेदार का अधिकांश कब्जा काश्त मूल खसरा संख्या 90 के दक्षिणी भाग पर है। मौके पर खातेदार के कब्जे काश्त में आ रही भूमि का नक्शा नीली स्याही से दर्शाया गया है। पेरोकार सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम खसरा संख्या 362/90 की कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना उचित होना जबाव में अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम मांगलीखुर्द पटवार मण्डल मांगलीखुर्द के ख.सं 362/90 की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 362/90 ग्राम मांगलीखुर्द पटवार मण्डल मांगलीखुर्द की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 362/90 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालनां हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 13.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

13/02/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)